राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.6( )डीईओ/ग्रास्वायो/पक/2009/888 दिनांक : 22/2/2010

परिपत्र

विषयः ग्राम स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2009–10

गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2009–10 में भी ग्राम स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जो भी ग्राम पंचायत टीकाकरण, प्रसव पूर्व जॉच, संस्थागत प्रसव, सही उम्र में विवाह एवं जन्म–मृत्यु पंजीकरण तथा परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करती है, ऐसी ग्राम पंचायत को वर्ष 2009–10 के कार्य परिणामों के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है।

ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण :

1. उपरोक्त ग्राम पंचायतों में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहने वाली ग्राम पंचायत को निम्नानुसार पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी

प्रथम ग्राम पंचायत 5 लाख रूपये

द्वितीय ग्राम पंचायत 3 लाख रूपये

अन्य ग्राम पंचायत निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने वाली प्रत्येक पंचायत को 1 लाख रूपये।

ग्राम पंचायत के लिए पुरस्कार हेतु निर्धारित मापदण्ड

क.सं.	गतिविधि	उपलब्धि (प्रतिशत)
1	गर्भवती महिलाओं के 3 प्रसव पूर्व जॉच (ANC Checkup)	90
2	संस्थागत प्रसव	90
3	पूर्ण टीकाकरण (0–1 वर्ष तक के बच्चे)	90
4	विवाह की सही उम्र (लड़का 21 वर्ष लड़की 18 वर्ष)	100
5	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण	100
6	नसबन्दी	90 (संभावित उपलब्धि स्तर का)
7	आईयूडी	90 (संभावित उपलब्धि स्तर का)

पुरस्कार हेतु पात्रता रखने वाली ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान प्रदत्त की गई स्वास्थ्य सेवाओं, जन्म–मृत्यु पंजीयन, सही उम्र में विवाह पंजीयन आदि लाभार्थियों के रिकार्ड की जांच राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। अतः परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वास्थ्य संस्था (उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य

6

केन्द्र) द्वारा तथा विवाह एवं जन्म–मृत्यु पंजीयन का रिकार्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायत को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। ब्लॉक के अधीन आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों में से निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों के वर्ष 2009–10 के कार्य परिणामों के आधार पर निर्धारित मूल्यांकन प्रपत्र (संलग्न) भरवाकर समय पर प्राप्त करने की जिम्मेदारी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी। पुरस्कार हेतु पात्रता रखने वाली ग्राम पंचायत निर्धारित मूल्याकन प्रपत्र में वर्ष 2009–10 में दी गई सेवाए/सम्बन्धित गतिविधियों की सूचना भरकर अपने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 30.4.2010 तक प्रेषित करेंगे। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जिले के अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) को 7.5.2010 तक प्रेषित करेंगे। **निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नही करने वाली ग्राम पंचायत को इस योजना में सम्मिलित नही किया जाएगा।**

अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन कर पुरस्कारों के चयन हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति से अनुमोदन करवाकर राज्य स्तर पर 20.5..2010 तक प्रेषित करेंगे। **परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2009–10 के लिए चयनित ग्राम पंचायत को इस योजना में सम्मिलित नही किया जावे।**

पुरस्कार राशि का उपयोग चिकित्सा संस्थाओं पर मातृत्व व बाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या स्थायित्व से सम्बन्धित सिविल निर्माण व भवन मरम्मत कार्य तथा चिकित्सा उपकरण क्रय करने में किया जावेगा, जिसके लिए सम्बन्धित उप स्वास्थ्य केन्द्र की प्रसाविका की आवश्यकता के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सम्बन्धित ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी निर्णय करेंगे।

जिला स्तर पर गठित चयन समिति

1. कलक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4. अति./उप मुख्य चि.एवं स्वा.अधिकारी (प.क.)	सदस्य सचिव
5. जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य

राज्य स्तर पर गठित चयन समिति

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग	अध्यक्ष
2. मिशन डायरेक्टर (एनआरएचएम)	सदस्य
3. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान	सदस्य
4. निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य
5. निदेशक (आईईसी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य
6. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
7. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य
8. मुख्य लेखाधिकारी (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य
9. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य सचिव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पुरस्कार हेतु निर्धारित पात्रता रखने वाली ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव निश्चित समय पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(डॉ.एम.एल.जैन)
निदेशक (आरसीएच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय, मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सहायक, मिशन डायरेक्टर (एनआरएचएम), राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक (आईईसी / जन स्वास्थ्य / एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर।
8 मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज. जयपुर।
9 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।
11. समस्त प्रधान, पंचायत समिति, राजस्थान।
12. मुख्य लेखाधिकारी (प.क.) मुख्यालय।
13. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
15. समस्त प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
16. समस्त अतिरिक्त / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) राजस्थान।
17. समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान।
18. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

निदेशक (आरसीएच)

ग्राम पंचायत के लिए पुरस्कार हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन प्रपत्र

जिला .... खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ....

पंचायत समिति का नाम ....

ग्राम पंचायत का नाम ....

क्र. सं.	गतिविधि	मापदण्ड	उपलब्धि (प्रतिशत)	भारांक
1	गर्भवती महिलाओं के 3 प्रसव पूर्व जॉच (ANC Checkup)	कुल गर्भवती महिलाओं का 90 प्रतिशत		गर्भवती महिलाओं की 3 प्रसव पूर्व जॉच / ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या X 20
2	संस्थागत प्रसव	कुल प्रसवों का 90 प्रतिशत		संस्थागत प्रसव / ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए कुल प्रसवों की संख्या X 15
3	पूर्ण टीकाकरण (0–1 वर्ष तक के बच्चे)	0–1 वर्ष तक के कुल बच्चों का 90 प्रतिशत		0–1 वर्ष तक के बच्चे का पूर्ण टीकाकरण / ग्राम पंचायत क्षेत्र में 0–1 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या X 15
4	विवाह की सही उम्र (लड़का 21 वर्ष लड़की 18 वर्ष)	ग्राम पं. क्षेत्र में हुए कुल विवाह का शत प्रतिशत		सही उम्र में हुए विवाह की संख्या / ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए कुल विवाह की संख्या X 10
5	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण	जन्म एवं मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीकरण		जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण / ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए कुल जन्म–मृत्यु की संख्या X 10
6	नसबन्दी	संभावित उपलब्धि स्तर का 90 प्रतिशत		ग्राम पं. क्षेत्र में हुए नसबंदी / ग्राम पंचायत क्षेत्र में नसबंदी का संभावित उपलब्धि स्तर X 20
7	आईयूडी	संभावित उपलब्धि स्तर का 90 प्रतिशत		ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए आईयूडी / ग्राम पंचायत क्षेत्र में आईयूडी का संभावित उपलब्धि स्तर X 10

नोट : प्रपत्र में परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दी गई सूचना की जिम्मेदारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं विवाह की सही उम्र सम्बन्धित सूचना की जिम्मेदारी ग्राम सचिव की होगी।

हस्ताक्षर

प्रसाविका   ग्राम सेवक   सरपंच